

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -2366 / 2012 / जोधपुर

अपील संख्या -2367 / 2012 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ई, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जय मॉ गायत्री इण्डस्ट्रीज
एच.77 / 78, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जोधपुर
एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.सी.सोगनी
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 20-1-2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जोधपुर द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/आरवैट/जेयूई/12-13 व 3/सीएसटी/जेयूई/12-13 में पारित संयुक्त दिनांक 25.07.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य वर्ष 2009-10 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत एवं समान वर्ष के लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 02.03.2012 को पारित कर अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति एवं अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.9.2011 अनुसार वेवर का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को लाभ नहीं दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपीलों पर विचार कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2012 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं स्थिति पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 24207 /- एवं रू. 10,000 /- को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि देय टैक्स सी फार्म के मांग पर आधारित था, जिस पर तदनुसार शास्ति एवं ब्याज आरोपणीय था। अग्रिम अभिवाक् किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2012 अपास्त योग्य है। उक्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम के अन्तर्गत विहित समस्त विवरण पत्र दिनांक 30.9.2011 से पूर्व व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। उक्त कथन है कि कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि आई टी सी अधिक होने से केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत समयोजित करने के आदेश दिये थे, इस तरह वैट अधिनियम के अधीन कोई कर बकाया नहीं था। उनका कथन है कि इसी तरह केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत समस्त विवरण दिनांक 30.09.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं देय कर रू. 105448 /- से कहीं अधिक राशि रू. 143122 /- का समयोजन आई टी सी के रूप में दिया गया। उन्होंने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश के समय कुछ घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने से जो अन्तर कर लगाया है उसको देय टैक्स का भाग मानते हुए अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 का लाभ नहीं दिया गया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 की पात्रता होने से शास्ति एवं ब्याज वेव योग्य होने से अपास्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, साथ ही अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2012 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में निर्णय हेतु विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण के समय घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने से आरोपित अन्तर कर को देय टैक्स (due tax) माना जावे अथवा नहीं एवं अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के तहत लाभ का पात्र होगा अथवा नहीं ? इस बिन्दु का निर्णय करने से पूर्व अधिसूचना दिनांक एफ.12(92)एफडी / टैक्स / 2011-46 दिनांक 15.9.2011 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है :-

"In exercise of the powers conferred by section 51 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in


super session of this Department's notification No. 12(25)FD/Tax/11-169, dated 30-3-2011, of State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 3.9.2011."

उक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 की अवधि में जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त देय कर (due tax) एवं समस्त विवरण पत्र दिनांक 30.9.2011 के पूर्व प्रस्तुत/जमा करवा दिए गए हैं, उन पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज को वेव किया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त अधिसूचना को अपने आदेश में उद्धृत करते हुए समस्त विवरण पत्र दिनांक 30.9.2011 के पूर्व प्रस्तुत किये जाने को ध्यान में रखते हुए शास्ति एवं ब्याज अपास्त किया है, जो विधिक है।

इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड के अवलोकन करने पर अधिनियम की धारा 20 एवं 21 को उद्धृत करने के पश्चात प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए, जो निष्कर्ष दिया है, उससे अन्यथा निष्कर्ष दिया जाना यह पीठ उचित नहीं समझती है, क्योंकि बहस के दौरान विभाग की ओर से ऐसे कोई नये तथ्य अथवा विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों, अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिये गये विस्तृत निष्कर्षों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी [94 एस टी सी 422(एससी)] के आलोक में अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2012 विधिक एवं उचित है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य